बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–प्र0–02–अ0ख0–05/16–........................../एम0, पटना, दिनांक–.........................

Web/
E-mail/whats-
App

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उपनिदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक।

विषयः– खनिज लदे वाहनों के ओवरलोड तथा अवैध रूप से प्रेषण तथा परिवहन के क्रम में किये जाने वाले कार्रवाईयों के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–3130/एम0, दिनांक–26.07.2018 तथा 3464/एम0, दिनांक–27.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में प्रसंगाधीन विभागीय पत्र का कृपया निदेश करना चाहेंगे। निदेशानुसार कहना है कि विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार खनिज लदे वाहनों के ओवर लोडिंग तथा अवैध रूप से प्रेषण तथा परिवहन के क्रम में विभिन्न जिला खनन कार्यालयों द्वारा की जाने वाले कार्रवाईयों के तहत दंड स्वरूप राशि की वसूली के बावजूद भी खनिजों के अवैध परिवहन में अपेक्षित कमी नहीं हो रही है, जो अत्यंत चिंताजनक है। खनिज लदे वाहनों के अवैध परिवहन पर समुचित रोक लगाने हेतु अनुकरणीय कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। ध्यातव्य है कि एतद् संबंध में संसूचित Standard Operating Procedure के कंडिका–2 में उल्लेखित है कि जाँच के दौरान यदि खनिज लदे कोई भी वाहन बगैर अवैध चालान का पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में वाहन में लदे खनिज की मात्रा के बाजार मूल्य के साथ देय राशि एवं अन्य करों की वसूली की जायेगी। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि बगैर वैध चालान के खनिज लदे वाहनों पर Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 के नियम–40 तथा Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2003 के नियम–5 एवं 8 के आलोक में जुर्माना के साथ नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की जानी है।

कृपया उपरोक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
सरकार के अवर सचिव

D/MANOJ/ALOK JI/DRAFT

P.T.O

ज्ञापांक–3642/एम0, पटना, दिनांक–12/9/18

प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/9

सरकार के अवर सचिव

D/MANOJ/ALOK JI/DRAFT